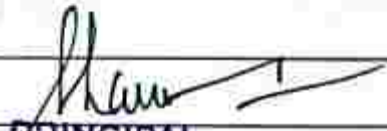


रासडीय महाविद्यालय दीपडा, जिला-कोरबा. (छ.ग.)

(प्राचार्य एवं स्टाफ काउंसिल बैठक रजिस्टर)

प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर
में कुल - (69) पन्ने हैं।



PRINCIPAL

Govt. College DIPKA

Distt.- Korba (C.G.)



::- सूचना ::-

महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 हेतु प्राचार्य एवं स्टाफ काउंसिल की आवश्यक बैठक दिनांक 20.06.2023 को समय 03:00 बजे (दोपहर) आयोजित है। जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

बैठक का प्रमुख एजेन्डा निम्नानुसार है - निम्नानुसार हैं -

01. अध्ययन अध्यापन व्यवस्था पर चर्चा एवं निर्णय।
02. प्रवेश समिति एवं प्रवेश प्रक्रिया पर चर्चा एवं निर्णय।
03. नैक पियर टीम की अनुशंसा पर चर्चा एवं निर्णय।
04. Nep-20 पर चर्चा एवं निर्णय।
05. Value added Courses पर चर्चा एवं निर्णय।
06. Best Practices पर चर्चा एवं निर्णय।
07. Clean & Green Campus पर चर्चा एवं निर्णय।
08. Code of Conduct पर चर्चा एवं निर्णय।
09. Short term Courses पर चर्चा एवं निर्णय।
10. Progression & Placement Cell पर चर्चा एवं निर्णय।
11. MOU पर चर्चा एवं निर्णय।
12. Online Courses पर चर्चा एवं निर्णय।
13. प्राचार्य महोदया की अनुमति पर अन्य विषय पर चर्चा एवं निर्णय।

[Signature]

[Signature]
डॉ. शिवा शर्मा
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय
दीपका जिला-कोरबा (छ.ग.)

[Signature]
17.06.2023

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

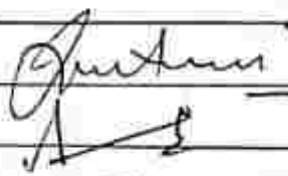
बैठक सूचना

दिनांक - 17/06/2023

महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 हेतु प्राचार्य एवं स्टाफ कौंसिल की आवश्यक बैठक दिनांक - 20/06/2023 को समय - 03 बजे दोपहर कुक्ष - प्राध्यापक कुक्ष में आयोजित है जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

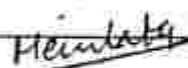
बैठक का प्रमुख एजेंडा निम्नानुसार है -

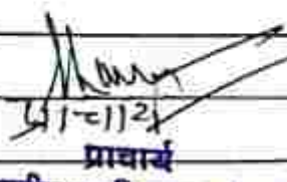
01. अध्ययन अध्यापन व्यवस्था पर चर्चा एवं निर्णय
02. प्रवेश समिति एवं प्रवेश प्रक्रिया पर चर्चा एवं निर्णय
03. नेट पीयर टिम की अनुमति पर चर्चा एवं निर्णय
04. NEP-20 पर चर्चा एवं निर्णय
05. Value Addition Course पर चर्चा एवं निर्णय
06. Best Practices पर चर्चा एवं निर्णय
07. Clean & Green Campus पर चर्चा एवं निर्णय
08. Code of Conduct पर चर्चा एवं निर्णय
09. Short Term Course पर चर्चा एवं निर्णय
10. Progression in higher education & placement cell पर चर्चा एवं निर्णय
11. M.O.U. पर चर्चा एवं निर्णय
12. Online Course पर चर्चा एवं निर्णय
13. प्राचार्य महादया की अनुमति पर अन्य विषय










प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय, दीपका
जिला-कोरवा (छ.ग.)

बैठक

दिनांक - 20/06/2023

आज दिनांक - 20/06/2023 को समय - 03 बजे (दोपहर)
 प्राध्यापक कुक्ष में "प्राचार्य एवं स्टाफ काउंसिल" की
 आवश्यक बैठक रखा गई, जिसमें महाविद्यालय के निम्न
 अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित हुए -

- | | | | |
|------|------------------|---|---------|
| (01) | Mamta Thakur | - | |
| (02) | J.C. Dewangan | - | |
| (03) | S.K. Rathore | - | |
| (04) | Ka. Suman Thakur | - | |
| (05) | Sarita Shukla | - | |
| (06) | Hemlata Kariwan | - | Hemlata |
| (07) | G.S. Kumar | - | |
| (08) | | | |
| (09) | | | |
| (10) | | | |
| (11) | | | |
| (12) | | | |
| (13) | | | |

प्राचार्य
 शासकीय महाविद्यालय, दीपका
 जिला-कोरवा (उ.प्र.)

बैठक में दिए गए संज्ञेय / विषय पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

विषय / संज्ञेय

लिए गए निर्णय

(01) पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन पर चर्चा एवं निर्णय

पूर्व बैठक में लिए गए सभी निर्णयों का पूर्णरूप से क्रियान्वयन हो चुका है।

- 51) अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था - (01) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी MCAE Calendar 2023-24 के अनुसार अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार ICT का उपयोग किया जाएगा।
- (02) प्रतिवर्ष की गांती सत्र 2023-24 में भी Daily diary तथा MCAE Calendar Register का संधारण किया जाएगा।
- (03) दान/दानाओं की कक्षा में नडा. उपस्थिति अनिवार्य होगी जिसकी प्रथम गणना 30 नवम्बर एवं द्वितीय गणना 28 फरवरी तक किया जाए।
- (04) कम उपस्थिति वाले दान/दानाओं को एवं उनके पालकों की सूचना दिया जाएगा।
- (05) N.S.S. Camp / Sport / State level Comp. में भाग लेने वाले दान/दानाओं को उपस्थित माना जाएगा।
- (06) यथासंभव (समय सारणी के अनुसार) Parent-Child Comp. कार्य classes किया जाएगा।
- (07) कुल क्र. 06, 09, 17 एवं 20 का Block Book में पेट डराया जाएगा तथा कुल क्र. 09, 10, 11 इत्यादि के पंखों को भरवा डराया जाएगा।
- (08) बाथरूम में पानी तथा पेयजल की उचित व्यवस्था किया जाएगा।

(09) विश्वविद्यालय Academic Calendar के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन लेना अनिवार्य है।

(10) समस्त प्रकार की बैठक दोपहर 03 बजे के बाद परचात आयोजित किया जाए।

(11) छात्र/छात्राओं तथा शिक्षकों के लिए Library में अध्ययन कार्य अनिवार्य होगा, तथा N-List को ~~अध्ययन~~ सессन में बूझ दिया जाएगा।

(12) प्रतिवर्ष की तरह Mentor System तथा Slow & Steady Teacher System को अपन लिया जाएगा।

(13) यथासंभव Classroom Seminars द्वारा ~~classroom~~ के साथ छात्र/छात्राओं में वैसाचिक इतिहासिक development करने हेतु प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा।

(14) छात्र/छात्राओं में Personality development हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

(12) प्रवेश समिति एवं प्रवेश प्राप्ति पर चर्चा

(i) सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश मागदिशिका के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

(ii) प्रवेश समिति गठन के परचात प्रवेश प्राप्ति पर पुनः चर्चा किया जाएगा।

Q3) नेट पीयर टीम के अनुशासित

अनुशासित पर चर्चा एवं निर्णय

अनुरूप -

(i) महाविद्यालय द्वारा सत्र 2023-24 में Workshop का आयोजन

किया जाएगा

(ii) महा. के शिक्षकों को ~~orientation~~

Refresher इत्यादि हेतु अनुमति

दिया जाएगा

(iii) शिक्षकों को Research ~~work~~

के लिए प्रेरित किया जाएगा

(iv) Value added course का

आयोजन किया जाएगा

(v) Short term certificate

course RSETI के माध्यम से

प्रारंभ किया जाएगा।

(04) NEP-20

पर चर्चा

एवं निर्णय

(i) शासन के निर्देशानुसार

NEP-20 का पालन किया

जाएगा।

(05) Value added course

(i)

सत्र 2023-24 में

पर चर्चा एवं निर्णय

सब से अधिक value

added course निम्न में

से कोई एक होगा -

(A) Self defence

(B) First aid

(C) Cake making

(06) Best practice

पर

चर्चा एवं निर्णय

(i) सत्र 2023-24 में 02 Best

practice अनिवार्य है जिसमें

(A) setting of medicinal garden

(B) प्रवेशित दवा / दवा के

प्रतिभा के अनुसार Best practice
लेगा दिया जाएगा।

- (07) Clean & green campus पर चर्चा एवं निरीक्षण (i) महा. के निगमित साफ-सफाई कराया जाएगा।
(ii) Tree plantation एवं उसकी सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा।
- (08) Code of Conduct पर चर्चा एवं निरीक्षण महाविद्यालय में दबा/दागाओ शोभाविह तथा अशोभाविह स्टाफ के लिए निम्नानुसार आचरण संविता होगा -

Code of Conduct for students

- (1) It is mandatory to wear identity card in campus.
- (2) NO student shall enter the class room without permission once teacher enters in.
- (3) Every student must put in 75% attendance in Theory and practical.
- (4) student should attend all tests and assignments without fail.
- (5) Every student shall be cordial with the teachers and other staff at all times.
- (6) Smoking and consuming alcohol in campus is strictly prohibited.
- (7) They shall follow the rules and regulations framed from time to time.
- (8) Ragging inside or outside the campus is strictly prohibited.
- (9) NO food items are allowed in the classroom and Library.
- (10) One student shall be nominated from each class as class representation.

- Page _____
Date ____/____/____
- (11) Every one in the institute must maintain cleanliness in the premises.
 - (12) Damage to institute property will invite disciplinary action.
 - (13) Any grievance pertaining to teaching non-teaching staff must be addressed directly to the principal.
 - (14) Student should avoid indulging in any political or notorious activity that would cause injury to self and other.
 - (15) Students are required to be present for all events of the institute, as intimated on the Notice Board.
 - (16) All students should give their feedback to improve the quality of services and teaching provided.
 - (17) Student should park their vehical vehical in the space meant for parking.
 - (18) Students before going for examination should return the library books.

code of conduct for teachers

- (1) teaching staff should remain on duty in the college from 10.30 am to 5.30 pm. they shall not leave the college premises without permission before 5.30 pm.
- (2) The teachers of the college should obey the rules of the college / university / UGC / Govt etc.
- (3) Teacher should complete the tasks assigned by the principal in a time bound.
- (4) Teachers should not discriminate against any student on the ground of caste, creed, language and place of origin, social and - background

- (5.) Teacher should not indulge in or encourage any form of malpractice connected with examination or any other activity.
 - (6) Teacher should not conduct any private classes/tutorials.
 - (7) Leave can not be claimed as a matter of right. The application may be revoked by the principal.
 - (8) Teachers are responsible for maintaining their class attendance register and daily diary.
 - (9) Teacher should maintain cordial relation with the local community.
 - (10) Teacher should maintain decorum both inside and outside the classroom and set a good example to the students.
 - (11) Teachers should carry out other academic, co-curricular, administrative and organizational activities that may be assigned to them from time to time.
 - (12) Teachers should record their attendance through the biometric punching mat machine and also sign in the register.
 - (13) Teachers shall not make use the facilities of the college for personal purpose.
 - (14) Teachers should not attempt to bring any political or outside pressure on his/her head of institution in respect of service matters.
 - (15) Teachers should not accept fees or honorarium, gift etc. from students.
- x —

Code of conduct for non teaching staff.

- (1) Non teaching staff should remain on duty in the college from - 10:30 Am to 5:30 pm. They shall not leave the college premises without -
- permission before 5:30 pm.

- (2) Every non teaching staff employed shall discharge his/her duties eff efficiently and shall conform to the rules and regulations of the college.
- (3) Non teaching staff/ shall respect and maintain the ~~the~~ hierarchy in the administration and carry out their duties as instructed by the authorities to whom they are attached.
- (4) Non teaching staff shall maintain honesty, integrity and equality in all activities.
- (5) Non teaching staff shall exercise self-discipline and deal positively with staff, students, parents and public.
- (6) Non teaching staff assigned to Laboratories should be responsible for the cleanliness and maintainance of the labs.
- (7) The staff has to carry out any work assigned with regard to examinations conducted by the college or university as directed by the principal.
- (8) The staff should take prior approval if he/she wants to avail leave. In case of sickness a medical certificate should be produced.
- (9) Non teaching staff should avoid personal calls and social networking sites such as facebook, whatsapp, etc. during the working hours.

(10) Short ~~term~~ term course (i) R. S. et al. कोशों में
पर चर्चा एवं निर्णय सहायता से Short
term course शुरू
दिया जाएगा

(11) progression in higher education (i) progression in
& placement cell पर चर्चा एवं निर्णय higher education

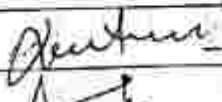
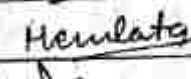
की जानकारी के लिए हाज/हाजामो को
WhatsApp group से जोड़कर जानकारी एवं
Evidence प्राप्त किया जाए

(2) कुछ महाविद्यालयों का स्तर स्नातक है मगर
Placement की सुविधाओं में अंतर है
परन्तु Placement की तैयारी कराया जाएगा

11) M.C.U. पर चर्चा (1) महाविद्यालय के द्वारा
एवं नियम Govt Government College
Harnamagar, इत्यादि से M.C.U.
कराया जाएगा।

12) Online Course पर (1) Online platform से सम्बन्धित
चर्चा एवं नियम इत्यादि से हाज/हाजामो/शिफ्टों
को Course करने हेतु प्रेरित
किया जाएगा।

13) प्राचार्य महोदयों की अनुमति
पर अन्य विषय

01) Dr. Mamta Thakur - 
02) J.C. Dewangan - 
03) G.K. Rathore - 
04) Hemlata Kanwar - 
05) Anshu alka Bhatia - 
06) Sumon Thakur - 
07) R.K. Swarnakar - 


(Principal)
राजकीय महाविद्यालय, दीपका
जिला-कोरवा (उ.प्र.)

बैठक सूचना

दिनांक - 28/11/23

महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 हेतु प्राचार्य एवं स्टाफ काउंसिल की आवश्यक बैठक दिनांक - 01/12/23 को समय - 03 बजे (दोपहर) आयोजित है। बैठक में सभी अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

बैठक का प्रमुख विषय / एजेन्डा निम्नानुसार है -

- (01) पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा
- (02) महाविद्यालय में अध्ययन अध्यापन एवं अन्य गतिविधियों पर चर्चा एवं निर्णय
- (03) एन.एस.एस. डेम्प सांस्कृतिक गतिविधियों एवं स्पोर्ट्स गतिविधियों पर चर्चा एवं निर्णय
- (04) सत्र 2022-23 हेतु ARAR Submission के संबंध में चर्चा एवं निर्णय
- (05) द.ग. युवा मिलान परिसर योजना पर चर्चा एवं निर्णय
- (06) सर्वोफिशियल चोर्स संचालन के संबंध में चर्चा एवं निर्णय
- (07) महाविद्यालय में सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित सशक्तता राशि, विद्यार्थी शुल्क एवं ए.ए.ए. राशि के उपयोग के संबंध में चर्चा एवं निर्णय
- (08) प्राचार्य महोदयों के अनुमति पर अन्य विषय

(Signatures)

प्राचार्य
राष्ट्रीय महाविद्यालय, दीपका
जिला-कोरवा (उ.प्र.)

बैंक

दिनांक - 01/12/2023

आज दिनांक - 01/12/2023 को " प्राचार्य एवं स्टाफ काउंसिल की आवश्यक बैठक समय - 03 बजे (दोपहर) प्राचार्य कक्ष में आयोजित किया गया जिसमें महाविद्यालय के निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए -

- 01
- 02 J.C. Dewangan - ✓
- 03 S.K. Rathore - ✓
- 04 Sumant Thakur - ✓
- 05 Sanku Malik Lal - ✓
- 06 Hemlata Kanwar - ✓
- 07 लीलाका तन्त्र - ✓
- 08 कु. शिव पांडेय - ✓
- 09 पिया लहरे - ✓
- 10 अमली मिश्रा - ✓
- 11 P.K. Swaraj - ✓
- 12 आनंद कुमार - ✓
- 13
- 14
- 15

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, दीपका
जिला-कोरबा (छ.प्र.)

बैठक में दिए गए विषय/सजेन्डा पर चर्चा के पश्चात निम्न लिखित निर्णय लिए गए -

विषय/सजेन्डा लिए गए निर्णय

- | | |
|---|---|
| 01 पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा | पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों में बिन्दु क्र. 03 एवं 05 को होउटर सभी पूर्ण |
|---|---|

कर लिए गए हैं।

(02) महाविद्यालय में अध्ययन
- अध्यापन एवं अन्य
गतिविधियों पर चर्चा
एवं निर्णय

(01) महाविद्यालय में
माह - नवम्बर - 2023
की स्थिति में पूर्ण
पाठ्यक्रम की स्थिति
निम्नानुसार है:-

कक्षा	विषय	पूर्णांक			टिप्पणी
स्नातक 1/II/III	हिन्दी भाषा	60%	50%	60%	
स्नातक 1/II/III	हिन्दी साहित्य	70%	70%	60%	
स्नातक 1/II/III	अंग्रेजी भाषा	70%	70%	65%	
बी.ए. I/II/III	अंग्रेजी साहित्य	65%	60%	65%	
बी.ए. I/II/III	समाजशास्त्र	70%	50%	60%	
बी.ए. I/II/III	भूगोल	55%	60%	60%	
बी.ए. I/II/III	राजनित्वाशास्त्र	50%	60%	50%	
बी.एससी. I/II/III	भौतिक शास्त्र	50%	50%	50%	चुनाव कार्य में संलग्न
बी.एससी. I/II/III	रसायन शास्त्र	60%	65%	65%	आर्य ओएस धिरे हैं
बी.एससी. I/II/III	इतिहास				
बी.एससी. I/II/III	वैयक्तिक शास्त्र	60%	70%	70%	
बी.एससी. I/II/III	जन्तु विज्ञान	60%	60%	70%	
स्नातक - I वर्ष	पर्यावरण अध्ययन	50%	50%	50%	
स्नातक I/II/III	वाणिज्य				

(02) विश्वविद्यालय द्वारा जारी

Academic calendar 2023-24

के अनुसार पाठ्य तालिका लिए जा

रहे तथा आगे भी लिए जाएंगे।

(03) कक्षा में दक्ष/दायाओ की
उपस्थिति 75% होनी सुनिश्चित
किया जाएगा

(04) अध्ययन-अध्यापन के तहत
शैक्षणिक भ्रमण, क्वीज प्रतियोगिता

नवायुक्रम सेमीनार, ग्रुप डिस्कशन,
Project work, interdisciplinary
class के साथ ICT का उचित
प्रयोग भी किया जाए।

(05) Smart learner हेतु यथा संगत
अतिरिक्त न-लास, नोट्स, इत्यादि
सुनिश्चित किया जाएगा वहीं
non-learner हेतु उपयुक्त
guidance के साथ यथा संगत
resources उपलब्ध कराई जाएगी।

(06) सभी छात्र/छात्राएँ एवं सह-प्रोत्सा.
अतिथि व्याख्याता लाइवरी का
उपयोग तथा N-List का Accession
आवश्यक रूप से करेंगे।

(07) Mentor system के लिए ^{mentor}
एवं student के साथ बैठक आवश्यक
है इस हेतु बैठक को पंजीकृत
किया जाएगा।

(03) एन.एस.एस. के
सांस्कृतिक गतिविधियाँ
एवं स्पोर्ट्स गतिविधियाँ
पर चर्चा एवं निर्णय

(01) एन.एस.एस. के द्वारा
Extension work में सम्मेलन
कराया जाएगा तथा 07 दिवसीय
शिविर माह-दिसम्बर-23 में
आयोजित किया जाएगा।

(02) विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों
माह-दिसम्बर-23 में आयोजित
कराया जाए तथा पुरस्कार
वितरण एवं स्नोर सम्मेलन का
सिद्धि बाद में निर्धारित किया
जाएगा।

(04) माह-दिसम्बर में ही Sport
Accession यथा संगत कराया
जाए।

(04) सत्र 2022-23 हेतु A&AR
Submission के संबंध में
चर्चा एवं निर्णय

(01) चुनि-सत्र 2022-23
हेतु A&AR से
संबंधित समस्त
दस्तावेज को IRAC
कार्यालय में फेब्रु 2022
तक जमा करने के
निर्देश दिए जा चुके हैं
उक्त दस्तावेज IRAC
प्रमारी के पास जमा नहीं
कर पाने प्रमारी नवम्बर-23
तक आवश्यक रूप से जमा
करेंगे।

(02) IRAC प्रमारी द्वारा सत्र
2022-23 हेतु A&AR
माह- दिसम्बर 2023 तक
Online Submission किया
जाना है, इस हेतु समस्त
अधिकारी/कर्मचारी आवश्यकता
-नुसार पूर्ण सहयोग करेंगे।

(05) द.ग. युवा मिलान
परिवहन योजना पर
चर्चा एवं निर्णय

(01) द.ग. युवा मिलान
परिवहन योजना द्वारा
हॉज/हॉजमो के लिए
मुफ्त परिवहन सुविधा
हेतु Online पंजीयन,
Route Chart तैयार करना
इत्यादि हेतु प्रमारी की
आवश्यकतानुसार सहयोग
किया जाएगा।

(06) सर्टीफिकेट कोर्स संचालन
के संबंध में चर्चा
एवं निर्णय

सर्टीफिकेट कोर्स
संचालन हेतु यथा
विद्यमान जानकारी रूखा
कार्यालय रायपुर को

भेजा जाएगा।

(07)

महाविद्यालय में सत्र

2023-24 हेतु निधनि

कात्र/कात्रा सहायता राशि

विलम्ब शुल्क, एवं ए. एफ.

राशि के उपयोग के

संबंध में चर्चा एवं

निर्णय

महाविद्यालय में सत्र

2023

-24 हेतु -

(1) निधनि कात्र/कात्रा सहायता

राशि - 1830/-

(2) विलम्ब शुल्क राशि - 4200/-

(3) A.F. राशि - 366/- है

जिसमें से निधनि कात्र/कात्रा-

सहायता हेतु कात्र/कात्रा को

अपना BPL कार्ड प्रस्तुत करना

अनिवार्य है। होगा तथा

विलम्ब शुल्क राशि तथा A.F. राशि

को आवश्यकतानुसार व्यय किया

जाएगा।

(4) ISAC द्वारा संचालित सर्टिफिकेट

कोर्स, बेस्ट प्रेक्टिसेस इत्यादि

हेतु राशि व्यय की जाएगी

(05)

प्राचार्य महोदय की

अनुमति पर अन्य विषय

(08)

प्राचार्य महोदय की

अनुमति पर अन्य

विषय

(1) Dr. Mamta Thakur

(2) J. C. Dewangan

(3) S. K. Rathore

(4) Suman Thakur

(5) Sanku Akhatar

-

-

-

-

- (Hemlatan Kanwar - Hemlatan
- 6 लीलाधर ठाकुर
 - 7) प्रिया लहरे
 - 8) कु. रीतु पांडेय
 - 10) अजय निषाद
 - 11) R.K. Sunil
 - 12) आनंद कुमार

Handwritten signature

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, दीपका
जिला-कोरबा (छ.प्र.)